न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–602/2026

सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010043292026

आकाश निषाद पुत्र रामचेत निषाद
सा0मौ0–बेलावॉ, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर।

———————— आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–145/2026
धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0।
थाना–बदलापुर, जिला जौनपुर।

06.06.2026

आवेदक/अभियुक्त आकाश निषाद द्वारा मु0अ0सं0–145/2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–बदलापुर, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादिनी की पुत्री वर्षा उम्र लगभग 17 वर्ष दिनांक 27.03.2026 को दिन के दो बजे घर से बाजार जाने हेतु निकली थी। जब शाम तक घर वापस नहीं आयी तब उसे तलाशते इन्द्रावती के घर गये। वादी की पुत्री इन्द्रावती के पुत्र आकाश से बातचीत करती थी पूछने के लिये घर गये थे जहां अपनी पुत्री के बारे में पूछा तो इन्द्रावती, रामप्रसाद निषाद, कल्लू वादिनी को गाली व धमकी देने लगे। वादिनी की पुत्री अपने साथ घर में रखा शादी के लिये रूपये तथा गहना भी लेकर गयी है। वादिनी की पुत्री को आकाश निषाद बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे गलत तरीके से मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक वादिनी की लड़की वर्षा को शादी के लिये बहला–फुसला करके भगाया नहीं है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 04.04.2026 से जिला करागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त पर वादी मुकदमा की लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि ''मेरी उम्र 17 वर्ष है। हम आकाश को 2.5 साल से जाने है। उससे लगातार बात करते थे। मेरी मम्मी जान गयी तो दूसरी जगह शादी करा रही थी। इसलिये दिनांक 27.03.2026 को आकाश के साथ दिल्ली चले गये थे। जब हमे पता चला कि घर वाले मुकदमा लिखा दिये तो हम वापस आये।'' पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया कि ''मैं आकाश निशाद को 2.5 वर्षों से जानती हूॅ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। घरवाले

हमारी शादी के लिये नहीं माने इसलिये दिनांक 27.03.2026 को दोपहर 2 बजे दिल्ली चले गये। मैं स्वेच्छा से गयी थी। हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। मैं उससे ही शादी करना चाहती हूं मगर घर वाले नहीं मान रहे। ''

पीड़िता के उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि पीड़िता के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा स्वयं अपनी मर्जी से घर से जाने का कथन किया है। पीड़िता ने अपने बयानों में अभियुक्त के विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप बहला–फुसलकार भगा ले जाने अथवा कोई गलत काम करने का भी नहीं लगाया है। अभियुक्त दिनांक 04.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। थाने की प्रस्तरवार आख्या के साथ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुणदोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आकाश निषाद द्वारा मु0अ0सं0–145/2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–बदलापुर, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 06.06.2026

प्र0 सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।